


“राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र”

प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 2493/12-1 दिनांक 29/12/2018 तथा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर की पत्र संख्या-2225/12-1 दिनांक 01/02/2019 से जनपद चमोली के अंतर्गत बछेरधार से बछेर गांव तक प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये गये प्रमाण पत्र/आख्या कि याचित 0.937 हे० वन भूमि जो केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से 6.00 कि०मी० दूर है, के निर्माण से संबंधित क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व वन कर्मियों द्वारा की जाने वाली गश्त वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से और सुदृढ़ होगी, के साथ उक्त मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति के साथ दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण हेतु संस्तुति दी जाती है।


12.02.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

12/2/19

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691


पत्रांक 2274/12-1

देहरादून

दिनांक 13 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
2. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर ।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर


12.02.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य
वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

12/2/19